

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक : प.3(1) गृह-10 / 2022

जयपुर, दिनांक :- 16.04.2025

आज्ञा

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के लिए पदोन्नति देने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उप निदेशक अभियोजन को संयुक्त निदेशक अभियोजन के अस्थाई पदों पर वेतन श्रृंखला (15600-39100) ग्रेड पे-(21) 8200/- **Pay Matrix L-20 in Revised Pay Rules 2017** में पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति का लाभ रिक्ति की दिनांक से एवं नकद लाभ उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथी से देय होगा -

क्र.सं.	नाम अधिकारी	विशेष विवरण	रिक्ति की दिनांक
1.	श्री अशोक कुमार बम्नावत पुत्र श्री रामसहाय	अनुसूचित जनजाति	29.09.2023
2.	श्री राकेश कुमार झा पुत्र श्री जगमोहन लाल	अनारक्षित	29.09.2023
3.	श्री हरिप्रसाद कंवरिया पुत्र श्री किशनलाल	अनुसूचित जाति	29.09.2023
4.	श्री अब्दुल समद चिश्ती पुत्र श्री अब्दुल गफार	अनारक्षित	29.09.2023
5.	श्री जोराराम पुत्र श्री पेमाराम	अनारक्षित	29.09.2023
6.	श्री कमल कुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेश चंद	अनारक्षित	29.09.2023
7.	श्री ओमप्रकाश आर्य पुत्र श्री दीपचंद	अनारक्षित	29.09.2023

उक्त अधिकारीगण के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

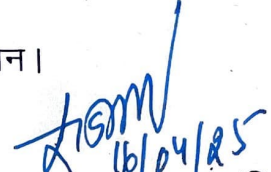
आज्ञा से

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. समस्त अतिरिक्त/उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


16/04/25
शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर